पत्र संख्या–26 / विविध–06–34 / 2025 ..../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय अंतर्गत बाढ़ वर्ष 2025 के पूर्व बाया नदी के बायें तटबंध के कि0मी0 26.572 तक ग्राम–चतरा काली मंदिर के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एकरारनामा सं0–09SBD/2025-26 दिनांक–16.04.2025 (एजेन्डा सं0–222 / 14 / 2025) के तहत संवेदक श्री मोनु कुमार, ग्राम–सबनीमा, पो0–सबनीमा, थाना–अथमलगोला, जिला–पटना, बिहार, पिन–803212 को कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2025 थी, परंतु संवेदक द्वारा दिनांक–24.05.2025 तक मात्र 45 प्रतिशत ही कार्य कराया गया। कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभागीय पदाधिकारियों द्वारा गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य को पूर्ण करने हेतु संवेदक को बार–बार स्मारित किया गया। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गयी। कार्य को ससमय पूरा करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर के पत्रांक–1939 दिनांक–26.05.2025 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा विभाग को की गई। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक–2605 दिनांक–09.06.2025 द्वारा संवेदक से कारण–पृच्छा की गई।

संवेदक से निर्धारित समय सीमा में कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटिरिंग अंचल, पटना से करायी गयी, समीक्षोपरांत विषयांकित कार्य की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत रहने के कारण संवेदक श्री मोनु कुमार को विभागीय आदेश सं0–3012 दिनांक–02.07.2025 द्वारा विषयांकित कार्य पूर्ण होने तक के लिए डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया गया।

उक्त डिबार आदेश के विरूद्ध संवेदक श्री मोनु कुमार द्वारा कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय को एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमे कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टी के अनुरूप पूर्ण कर लिए जाने के आलोक में डिबार से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

संवेदक श्री मोनु कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर ने अपने कार्यालय ज्ञापांक–2851 दिनांक–21.07.2025 द्वारा विषयांकित कार्य को दिनांक–17.07.2025 तक पूर्ण कर लिये जाने के कारण संवेदक श्री मोनु कुमार के निबंधन को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत विषयक कार्य पूर्ण कर लिये जाने के कारण संवेदक श्री मोनु कुमार, ग्राम–सबनीमा, पो0–सबनीमा, थाना–अथमलगोला, जिला–पटना, बिहार, पिन–803212 (निबंधन सं0–WRD17/2018 श्रेणी–द्वितीय) को विभागीय आदेश सं0–3012 दिनांक–02.07.2025 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक श्री मोनु कुमार, ग्राम–सबनीमा, पो0–सबनीमा, थाना–अथमलगोला, जिला–पटना, बिहार, पिन–803212 (निबंधन सं0–WRD17/2018 श्रेणी–द्वितीय) को डिबार से मुक्त किया जाता है।

ह0 / –
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक : ....पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपिः— श्री मोनु कुमार, ग्राम—सबनीमा, पो0—सबनीमा, थाना—अथमलगोला, जिला—पटना, बिहार, पिन—803212 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :..........3530.......... / पटना, दिनांक :....29/07/2025....

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल—2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग / कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/7/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय